दिनांक 16.01.2026 प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

चोरी की दो घटनाओं का सफल अनावरण— 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व चोरी की 04 राशि भैस/पड़िया/पड़वा बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा भैंस चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण, 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।
अभियुक्तों को थाना लालगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत पड़री के पास आम की बगिया से गिरफ्तार किया गया।
जनपद प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ एवं थाना लालगंज क्षेत्र में भैंस चोरी से संबंधित घटनाओं में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।
पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि भैंसें चोरी करके उन्हें पिकअप पर लादकर पशु बाजार में बेचने का प्रयास किया करते थे।

घटनाओं का संक्षिप्त विवरण-
प्रथम घटना-
दिनांक 14/15.01.2026 की मध्यरात्रि को वादिनी निवासी ग्राम पूरे रामन मेढ़ांवा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ अपने घर पर सो रही थी कि तभी उसे खट-पट की आवाज सुनाई दी। वादिनी द्वारा बाहर निकलकर देखने पर पाया कि आरोपीगण एक पिकअप वाहन पर वादिनी की भैंसों को लाद रहे थे। वादिनी द्वारा हल्ला-गुहार मचाने पर ग्रामीण पड़ोसी मौके पर पहुँचे, किंतु तब तक आरोपीगण भैंसों को पिकअप वाहन में लादकर मौके से फरार हो गये। इस संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 017/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 01 नामजद व तीन अज्ञात व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

द्वितीय घटना-
दिनांक 14.01.2026 को वादी निवासी सरैया, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ अपने परिवार के साथ भोजन कर घर के अंदर सोने चला गया था। दिनांक 15.01.2026 को समय करीब सुहब 04.00 बजे जागने पर देखा कि घर के बाहर बंधी उसकी एक भैंस गायब थी, जिसे अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 08/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर का पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के

पर्यवेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय उ0नि0 ज्ञानचन्द तिवारी, उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का0 राहुल यादव, का0 आलोक कुमार, का0 नीरज, का0 छत्रपाल, का0 विवेक सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 017/2026 धारा 303 (2) बी.एन.एस. से संबंधित 04 अभियुक्तों, 1.नीरज भारती पुत्र छंगू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रंगौली थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़, 2. गोलू भारती पुत्र राम अभिलाष उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मेढावा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, 3. रंजीत भारती पुत्र पप्पू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रंगौली थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़, 4. रमेश कुमार वर्मा पुत्र स्व० बैजनाथ वर्मा उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम हर्षपुर असावा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत पड़री के पास आम की बगिया से चोरी की 04 राशि भैस/पड़िया/पड़वा के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार 04 अभियुक्त के पास से चोरी की 04 राशि भैस/पड़िया/पड़वा बरामद किया गया। बरामदगी/ गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 317 (5) बी.एन.एस. की बढोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि ये सभी भैसे चोरी की है जिन्हे हम पांचो लोगो ने मिलकर अलग अलग जगह से चोरी करके छिपा दिया था और मौका पाकर गाड़ी पर लादकर दूर भैसों के बाजार में ले जाकर अच्छे दामों पर बेच देते है। आज भी हम लोग मौका पाकर इन भैसों को इसी बगिया में पिकप पर लादे है और इन्हे बेचने के लिये फैजाबाद पशु बाजार में जाने वाले थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. नीरज भारती पुत्र छंगू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रंगौली थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. गोलू भारती पुत्र राम अभिलाष उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मेढावा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
3. रंजीत भारती पुत्र पप्पू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रंगौली थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
4. रमेश कुमार वर्मा पुत्र स्व० बैजनाथ वर्मा उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम हर्षपुर असावा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

चोरी की 04 राशि भैस/पड़िया पड़वा बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय उ0नि0 ज्ञानचन्द तिवारी, उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का0 राहुल यादव, का0 आलोक कुमार, का0 नीरज, का0 छत्रपाल, का0 विवेक सिंह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा के उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान वाद संख्या 1092/22 धारा- 128 द0प्र0सं0 थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त करुणेश मिश्रा पुत्र अयोध्या प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम करीम नगर चौसा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र 36 वर्ष को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. करुणेश मिश्रा पुत्र अयोध्या प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम करीम नगर चौसा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र 36 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।